



भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर I.C.A.R.- NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL, BIKANER



क्रमांक : NRCC/Adm./Estt./02(01)/AIPR/2022/ २१०१- २।।२

दिनांक : 06.01.2023

परिपत्र

सीसीएस (आचरण) नियम 18 (1) (ii) के अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्मिक को उसकी अचल सम्पत्ति की वार्षिक सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर देनी है जो उसकी पैतृक सम्पत्ति है अथवा उसने पट्टे पर खरीदी है अथवा खुले रूप में खरीदी है अथवा अपने नाम से अथवा किसी अन्य नाम से रहन पर रखी है अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य के नाम से हैं।

अतः केन्द्र के सभी वैज्ञानिकों / अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे संलग्न प्रपत्र में वर्ष 2022 की अचल सम्पत्तियों का विवरण 31 जनवरी 2023 तक अवश्य प्रस्तुत कर दं।

यहां यह भी सूचित रहे कि भारत सरकार/परिषद के दिशा-निर्देश अनुसार, ऐसे कर्मचारियों / अधिकारियों के सम्बन्ध में सतर्कता अनापत्ति [Vigilance Clearance] जारी नहीं की जा सकेगी जिनके द्वारा वर्ष 2022 के लिए अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी, 2023 तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

संलग्न : प्रपत्र

प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer भाकअप-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र ICAR-National Research Centre on Camel

- 1. सभी वैज्ञानिकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को-नाम से
- 2. व्यैक्तिक सहायक -निदेशक। उपरोक्तनुसार निदेशक महोदय की विवरणी सुनिश्चित
- 3. डॉ. एस.के. घुरूई, प्रधान वैज्ञानिक एवं सतर्कता अधिकारी
- 4. श्री दिनेश मुंजाल, मु.त.अ.—कृपया इसे केन्द्र की वेबसाइट पर अपलोड करे।

I.C.A.R. – National Research Centre on Camel, Bikaner ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN

Statement of immovable property for the year 2022 (as on 01.01.2023)

1.	. Name of the Officer (in full) and service to which the officer belongs			
2.	Present Post held		:	
3.	Present Pay		:	

Name of District, Sub-	Name and details	of property	*Present value	If not in own name	How acquired whether by purchase,	Annual	Remark
Division, Taluk and village	Housing and	Lands		state in whose name	lease**, mortgage, inheritance, gift or	income	
in which property is	other buildings			held and his/her	otherwise, with date of acquisition	from the	
situated	-			relationship to the	and name with details of person/	property	
				Government Servant	persons from whom acquired		
					3.		
					7,7		
7 %	-						
				*			

Signature		
Date		

- Inapplicable clause to e struck out.
- In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.
- Includes short-term lease also.
- The wording 'No Change or No addition or as in previous year' may be avoided and all details filled-up.
- Note: The declaration for is required to be filled in and submitted by member of Class-I and II (Group A and Group B) services under Rule 15(3) of the CCS (Conduct) Rules 1955 (Now Rule 18(1) of the CCS(Conduct) Rules, 1964), on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

भाकृअप-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर प्रपत्र

वर्ष 2022 के लिए अचल सम्पति का विवरण (एज ऑन 01.01.2023)

1. कर्मचारी / अधिकारी का नाम (पूर्ण) एवं सेवा जिससे कार्यालय जुड़ा है			==_1					
2. वर्तमान पदनाम								
3. वर्तमान वेतन								
जहां सम्पति अवस्थित है वहां के तालुक, गांव, सम्पति का पूर्ण विवरण, (भवन, भूखण्ड आदि) वर्तमान मूल्य सम्पति यदि स्वयं के नाम नहीं है तो उसका नाम								
उपखण्ड तथा जिले का नाम		वर्तमान मूल्य	सम्पति यदि स्वयं के नाम नहीं है तो उसका नाम व संबंध जिसके नाम से सम्पति दर्ज है।					
		8						
	*							
			हस्ताक्षर :					
			दिनांक :					
कैसे ली गई क्रय/पट्टे पर "/ रहन पर अथवा किसी और को रहन पर दी गयी है है/दिनांक व उस व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम जिनसे क्रय की गयी है।	सम्पति रे	ने होने वाली वार्षिक आय	अभियुक्ति					
			हस्ताक्षर :					
			दिनांक :					

जो लागू न हो उसे काट दें। वर्तमान मूल्य का पता न हो उस स्थिति में लगभग मूल्य दें। "लघु अविध को भी दर्शाएं

नोट— सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के अनुसार श्रेणी I व II के प्रत्येक कार्मिक को प्रथम नियुक्ति तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसकी अचल सम्पति की वार्षिक सूचना देनी है जो उसकी पैतृक सम्पति है अथवा उसने पट्टे पर खरीदी है अथवा खुले है अथवा अपने नाम से अथवा किसी अन्य के नाम से रहन पर रखी है अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य के नाम से है